

28.03.2017

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

कार्यपालकों के लिए एच.आई.एल. की पदोन्नति नीति, 2017
(निदेशक मंडल द्वारा 28 मार्च, 2017 को हुई उनकी 328वीं बैठक में अनुमोदित)

अधिकारियों के लिए एच.आई.एल की संशोधित पदोन्नति नीति, 2016

शीर्षक, प्रारंभ और प्रयोज्यता:

- 1.1 इन नियमों को "अधिकारियों के लिए एच.आई.एल पदोन्नति नीति" कहा जाएगा।
- 1.2 इन्हें कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।
- 1.3 ये नियम सभी एच.आई.एल कर्मचारी जो अधिकारी वर्ग में कंपनी के नियमित रोल पर हैं तथा जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर अन्य संगठनों में भेजा गया है सहित पर लागू होंगे निम्नलिखित को छोड़कर :
 - 1.3.1 वे जो एक विशेष अवधि के लिए नियुक्त किए गए हों, जैसे कि किसी विशेष अवधि, विशिष्ट कार्य या परियोजना आदि के लिए संविदा के आधार पर नियुक्तियां, सेवानिवृत्त व्यक्तियों की कंपनी की सेवा में फिर से नियुक्ति या जो अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवावधि के विस्तार पर कंपनी की सेवा कर रहे हैं और वे जो पूर्णतः अनियत या अस्थायी आधार या नियत अवधि के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए हैं;
 - 1.3.2 जो कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर हैं अथवा जो अपने पैतृक संगठन की सेवाओं में पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) की समाप्ति तक लियन पर हैं कंपनी में समावेश तक और
 - 1.3.3 अन्य संगठनों द्वारा नियुक्त एच.आई.एल कर्मचारी, परन्तु कंपनी में पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) को बनाए रखने की अनुमति दी गई हो।

2. परिभाषाएं:

- 2.1 "कंपनी" अर्थात् हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड
- 2.2 "बोर्ड" अर्थात् कंपनी का निदेशक मंडल।
- 2.3 "सी एम डी" अर्थात् कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
- 2.4 "सक्षम प्राधिकारी" अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या प्रत्यायोजित प्राधिकारी।
- 2.5 "पात्रता अवधि" अर्थात् 'अर्हक सेवा' की न्यूनतम अवधि वर्तमान ग्रेड/वेतन मान और/या कर्मचारी द्वारा की गई अपेक्षित सेवा की न्यूनतम अवधि और/अथवा पदोन्नति की अपनी लाइन में अगले उच्च ग्रेड/वेतन मान में पदोन्नति हेतु सुविचारित सेवा की कुल अवधि, इन नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन हैं।
- 2.6 "पदोन्नति" अर्थात् एक कर्मचारी का निचले ग्रेड के पद से अगले उच्च ग्रेड में जाना।

3. मूल सिद्धांत और उद्देश्य:

- 3.1 एच.आई.एल के सभी कर्मचारियों को कंपनी में अपनी सेवा के दौरान कैरियर की संभावनाओं और विकास के मामले में अवसर की एक व्यापक समानता प्रदान करना।
- 3.2 कंपनी के कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में निष्पक्षता, साम्ययुक्तता, स्थिरता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना।

- 3.3 संगठन के विकास में योगदान करने पर कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत करना।
- 3.4 पदोन्नति के अवसरों के संबंध में जागरूकता के माध्यम से सभी कर्मचारियों के उच्च मनोबल के साथ एक मज़बूत कार्य संस्कृति को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए, पदोन्नति के मामलों में मापदंड प्रणाली का पालन किया जाना।
- 3.5 कंपनी की व्यापार संचालन आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिस्पर्धी माहौल बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की योग्यता, उपयुक्तता, प्रदर्शन और व्यावसायिक दक्षता के अनुरूप सभी स्तरों पर कैरियर में उन्नति के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना।
- 3.6 प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास पहलें और कार्य अनुभव को बढ़ाना, ताकि कर्मचारियों को उनके कैरियर की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपेक्षित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता प्राप्त हो सकें।
- 3.7 कंपनी में कर्मचारियों के उच्च मनोबल को बनाए रखना।
- 3.8 कैरियर के विकास के लिए एक पारदर्शी प्रणाली और प्रक्रिया प्रदान करना।
- 3.9 कंपनी की पदोन्नति नीति के अंतर्निहित मार्गदर्शक सिद्धांत का लक्ष्य संगठन के भीतर कैरियर विकास पैदा करना है। कंपनी का प्रयास होगा कि उचित और योग्य कार्मिकों द्वारा पदानुक्रम के स्तर पर कार्मिक आवश्यकता के लिए पदों को भरने हेतु अपेक्षित शैक्षणिक/ व्यावसायिक अर्हता, अनुभव और दक्षता और योग्यता वाले कार्मिकों के लिए संगठन में अवसर प्रदान किए जाएं।
- 3.10 संगठन के विकास में कर्मचारी को उनके योगदान के अनुरूप पर्याप्त अवसर, प्रोत्साहन और कैरियर विकास प्रदान करना। एच.आई.एल अपने कर्मचारियों को सभी स्तर पर बेहतर और अधिक प्रभावी प्रदर्शन करने के लिए उनकी योग्यता, क्षमता और अनुभव के अनुरूप पदोन्नति से पुरस्कृत कर प्रेरित और प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी।
- 3.11 विकास और कैरियर की संभावनाओं के लिए अपने सभी कर्मचारियों के लिए अवसर की समानता प्रदान करना; तथा
- 3.12 कर्मचारियों को प्रेरित करना और पदोन्नति के अवसर के प्रकार और पदोन्नति को प्रभावित करने वाले आधार/प्रणाली के प्रति जागरूक रखना।
- 3.13 कार्यपालक स्तर के पदों पर व्यावसायिक अर्हता प्राप्त कार्मिकों को रखने के उद्देश्य से सीधी भर्ती और प्रवेश (इंडक्शन) स्तर अर्थात् ग्रेड ई 1 में पदोन्नति का वर्तमान अनुपात क्रमशः 60:40 रखा जाएगा।

4. पदोन्नति नियम

4.1 पदों का वर्गीकरण:

इन नियमों के प्रयोजन के लिए, कंपनी में कार्यपालक संवर्ग के विभिन्न पद संचालन में हैं, एक क्लस्टर प्रणाली निम्नानुसार प्रस्तुत है:

ग्रेड	संशोधित वेतनमान	पदनाम / स्थिति / स्तर
क्लस्टर - ख		
ई 7	43200-66000	मुख्य महा प्रबन्धक
ई 6	36600-62000	महा प्रबन्धक

ई 5	32900-58000	उप महा प्रबन्धक
कलस्टर - क		
ई 4	29100-54500	प्रबन्धक
ई 3	24900-50500	उप प्रबन्धक
ई 2	20600-46500	सहायक प्रबन्धक
ई 1	16400-40500	अधिकारी/अभियंता

तकनीकी और गैर तकनीकी स्ट्रीम के तहत कर्मचारियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

4.1 (क) तकनीकी स्ट्रीम: उत्पादन, यांत्रिक, विद्युत, यंत्रीकरण, सिविल, रसायन, प्रयोगशाला, अग्नि एवं सुरक्षा, वाणिज्यिक, बीज, अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद विकास, ईआरपी/आईटी, पर्यावरण के कार्यात्मक क्षेत्र।

4.1 (ख) गैर-तकनीकी स्ट्रीम: मानव संसाधन एवं प्रशासन, वित्त एवं लेखा, विपणन, सचिवालीय (सेक्रेटेरियल), विधि, जन संपर्क, चिकित्सा, राजभाषा के कार्यात्मक क्षेत्र।

प्रत्येक स्ट्रीम में विभिन्न स्तरों पर परिभाषित पदों को उस क्षेत्र के तहत परिभाषित कार्यात्मक क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा, तथापि, स्वीकृत कार्मिकशक्ति के अधीन।

4.2 पदोन्नति के लिए सामान्य नियमः

नीति के अन्तर्गत पदोन्नति के लिए सभी प्रस्तावों पर प्रधान कार्यालय के मानव संसाधन प्रभाग द्वारा कार्यवाई की जाएगी। संबंधित डिसिप्लनों में वरिष्ठता सूची प्रधान कार्यालय में भी रखी जाएगी। कंपनी/अधिकारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तकनीकी/गैर-तकनीकी स्ट्रीम के अधीन उसी स्ट्रीम में किसी पोस्ट में रिक्ति को एक स्टेप नीचे के पद से संचालित किया जा सकता है।

4.2.1 अर्हक सेवा अवधि : एक स्तर से दूसरे पर पदोन्नति का मापदण्ड अगले नीचे के कैडर में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव/पदोन्नति के लिए मूल पद में रहने का न्यूनतम समय 3 वर्ष होगा। सभी पदोन्नतियां "संलग्नक-क" में अनुसार निर्धारित "अर्हक सेवा अवधि" पूरा होने पर रिक्ति वर्ष (अर्थात् जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन हुई) पहली अप्रैल की कट ऑफ तिथि और इन नियमों में निर्धारित अन्य आवश्यकताओं के अधीन होगी। केवल "पात्रता अवधि" के पूर्ण होने अथवा "पात्रता मानदंड" को पूरा करना आदि ही किसी कर्मचारी को पदोन्नति का अधिकार प्रदान नहीं करेंगे।

4.2.2 वरिष्ठता: कारपोरेट आधार पर कंपनी के सभी कार्मिकों का ध्यान रखते हुए प्रत्येक वेतनमान में डिसिप्लन वाइस और स्ट्रीम वाइस वरिष्ठता कायम रखी जाएगी।

पृथक श्रेणियाँ के लिए पदोन्नति के अवसरः पदोन्नति नीति पृथक संवर्ग के संबंध में समान श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित विनिर्देशों को पूरा करने अधीन होगी।

4.2.3 पदोन्नति, आवश्यकता आधार के अधीनः संगठन में सभी पदोन्नतियां ग्रेड विनिर्देशों के अनुसार में रिक्तियों की उपलब्धता और उम्मीदवारों की उपयुक्तता के अधीन हैं। प्रत्येक वर्ष मुद्रास्फीति समायोजित टर्नओवर में वृद्धि और समग्र व्यापक सामर्थ्य के अधीन संगठन के पिरामिड संरचना के अनुरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर किए गए समायोजन आधारित डी.पी.सी के गठन के पूर्व कंपनी के निर्णयानुसार पदोन्नति के अनुमति दी जा सकती है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी

स्वीकृत पद हमेशा प्रचालन में रहें। मुख्यतः कलस्टर – क के पद, जो सक्षम अंतरिक उम्मीदवारों से भारे जाने हैं सीधी, भर्ती द्वारा नहीं लिए जा सकते हैं।

4.2.4 विभागी पदोन्नति समिति ।

सभी पदोन्नतियां केवल विधिवत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी) की संस्तुति पर अध्यक्ष एवं प्रबन्धनिदेशक द्वारा ही अनुमोदित की जाएगी। डी.पी.सी का गठन निम्नानुसार होगा :-
कलस्टर – क पदो के लिए , मुख्य महाप्रबन्धक को छोड़कर , जहाँ पर बोड्र नियुति प्रधिकाय है

एक कार्यात्मक निदेशक	अध्यक्ष
एक स्वतंत्र/सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
निगमित मानव संसाधन प्रमुख	सदस्य
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि	सदस्य
अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि	सदस्य
कलस्टर ख के पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे ।	
महाप्रबन्धक /यूनिट प्रमुख	अध्यक्ष
निगमित/यूनिट एच आर प्रमुख	सदस्य
एक बाहरी व्यावसायिक विशेषज्ञ	
सक्षम प्राधिकारी के निर्णयानुसार	सदस्य
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि	सदस्य
अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि	सदस्य
यदि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा महिला कार्यपालक डी .पी. सी में एक महिला सदस्य को शामिल किया जाएगा ।	

4.2.5 पदोन्नति पर विचार करने का समय :

सभी पदोन्नतियों पर वर्ष में एक बार विचार किया जाएगा । इसलिए , डी. पी. सी नियमित वार्षिक अंतराल पर वर्ष में पदोन्नति के लिए पैनल का गठन करेगी । डी पी सी सामान्यतः हर वर्ष जून में बैठक करेगी और उसमें 1 मार्च तक योग्य होने वाले कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा । यद्यपि , कार्यात्मक आवश्यकता के कारण30 सितम्बर तक पात्र कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए डी. पी. सी फिर बैठक कर सकती है । वस्तुतः रिक्ति उद्भूतहोनेकी प्रतीक्षा किए बिना ही अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी । कार्रवाई पहले ही आरम्भ कर दी जाएगी , वस्तुतः एक रिक्ति होने को प्रतीक्षा किए बिना ।

4.2.6 विभगीयपदोन्नति समिति (डी. पी. सी) की भूमिका :

डी पी सी की भूमिका निम्नानुसार होगी । यह उदाहरणात्मक है और सर्वांगपूर्ण नहीं ।

(i) डी पी सी पात्र कर्मचारियों की अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति केलिएउनकीयोग्यता,

ग्रेड में सर्विस, प्रदर्शन और वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रदर्शित सामर्थ्य, अनुलग्नक – ख में संलग्न मानदण्ड के अनुसार और अन्य दस्तावेज़, निजी फाइलों में संबंधित रिकॉर्ड तथा अगले उच्च ग्रेड पद पर कार्यभार संभालने की उपयुक्तता पर असर डालने वाली अन्य कोई सूचना/रिपोर्टों की उपयुक्तता पर विचार करेंगी।

- (ii) डी.पी.सी तत्कालीन पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें पदोन्नति के विचारार्थ डी.पी.सी की बैठक हो में पिछले तीन/पांच (5) वर्षों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्टों पर विचार कर सकती है;
- (iii) डी.पी.सी सामान्य आचरण, व्यक्तित्व या मूल्यांकन रेटिंग में गिरावट का आंकलन करते समय एकरूपता, स्थिरता और साम्ययुक्तता सुनिश्चित करेगी;
- (iv) डी.पी.सी इन नियमों के सभी प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखेगी, विचाराधीन पद पर पदोन्नति के लिए मापदण्ड और चयन के लिए निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप सहित।
- (v) सिद्धांतों के अनुपालन, न्यूनतम मानदण्ड और उपरोक्त उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन और कंपनी में प्रभावी अन्य प्रासंगिक नियमों और आदेशों के अधीन, जो अगले उच्च ग्रेड/पदों पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गए हैं, योग्यता के अनुसार पात्र कर्मचारियों के नामों का एक पैनल सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु डी.पी.सी संस्तुति कर सकती है
- (vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए ऊपर निर्दिष्ट अंकों पर छूट केवल ग्रेड ई -3 पदों के स्तर तक ही उपलब्ध होगी।

4.2.7 पदोन्नति के लिए पात्रता सूची की तैयारी:

- (i) कॉरपोरेट एच.आर. द्वारा नीति के अन्तर्गत पदोन्नति के अनुरूप अधिकारियों की पात्रता सूची डी.पी.सी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए तैयार की जाएगी। वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्टों की रेटिंग के आधार पर कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक और व्यक्तिगत साक्षात्कार (सभी डी.पी.सी सदस्यों द्वारा दिए गए औसत अंक) को संकलित कर श्रेष्ठता का क्रम तैयार किया जाएगा। भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या के अनुसार और आरक्षण के दिशा-निर्देशों का ध्यान रखते हुए, जहां लागू हो, केवल वे कर्मचारी चयन सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित 75 अंक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में 70 अंक प्राप्त किए होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए ऊपर निर्दिष्ट अंकों पर छूट केवल ग्रेड ई -3 पदों के स्तर तक ही उपलब्ध होगी।

4.2.8 पैनल की वैधता

डी.पी.सी द्वारा पदोन्नति के लिए अनुशंसित सफल उम्मीदवारों का पैनल और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् अनुमोदित होने पर इसके अनुमोदन की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए ही वैध होगा।

4.2.9 अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण:

अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की कार्यपालक संवर्ग के अन्तर्गत पदोन्नति से संबंधित आरक्षण नियम , जैसा कि इस संबंध में समय – समय पर राष्ट्रपति के अधीन लागू होंगे, कार्यान्वित किए जाएंगे ।

4.2.10 पदोन्नति /संवर्धन के प्रभावी होने की तिथि:

सामान्य नियम के रूप में , उच्चतर पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रभावी होगी । तथापि, किसी व्यक्ति के मामले में योग्यता के आधार पर या प्रशासनिक प्रकृति की आकस्मिकता को पूरा करने के लिए , अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक या कोई अन्य प्रत्यायोजित प्राधिकारी आदेश के जारी होने की तिथि या किसी भी संभावित तिथि से , जो पदोन्नति आदेश में भी विनिर्दिष्ट होंगे, पदोन्नति की अनुमति का निर्णय कर सकते हैं

4.2.11 परिवीक्षा अवधि:

पदोन्नति प्राप्त कर्मचारी को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रखा जाएगा । प्रदर्शनके आधार पर , असाधारण परिस्थितियों के अन्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक परिवीक्षा अवधि अगले छह माह परन्तु 18 माह से अधिक नहीं के लिए परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है । परिवीक्षा अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति या प्रारम्भिक परिवीक्षाकाल बढ़ाए जाने पर, जैसे भी मामला हो, पदोन्नत पद पर पुष्टि या तो उसे पदोन्नति से पहले की पोस्ट पर वापस लाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी सूचित किया जाएगा । यदि अवधि बढ़ाए जाने का कोई पत्र जारी नहीं होता तो यह माना जाएगा कि कर्मचारी ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है

4.2.12 पदोन्नति हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर उम्मीदवार के नहीं आने या उपस्थित होने से इन्कार करने के संबंध में प्रक्रिया का अनुगमन: किसी भी कारण से, एक कार्यपालक, जिसे उच्चग्रेड पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए चुना गया है कार्यपालक को इन्कार करने पर स्वयं को अगले दो विभागीय पदोन्नति समिति के लिए पदोन्नति हेतु पात्र नहीं माना जाएगा , जिसे डी. पी. सी के सामने उपस्थित होने पर सूचित कर दिया जाएगा । तथापि यदि एक कर्मचारी पदोन्नति के लिए साक्षात्कार में , किसी भी कारण से, भाग नहीं लेता या भाग लेने से इन्कार करता है , इस एकमात्र कारण के लिए, उसे अगले डी. पी. सी में विचार किए जाने से वंचित किया जाएगा ।

4.2.13 कर्मचारियों को पदोन्नति से विवर्जित किया जाना:

यदि किसी कर्मचारी को सेवा नियम के अन्तर्गत लागू आचरण अनुशासन एवं नियम अपील के तहत कोई प्रमुख दण्ड दिया गया हो तो सजा लागू होने से 2 वर्ष की अवधि तक उसकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा । आदेश जारी करने पूर्व प्रत्येक पदोन्नति के लिए सतार्कता अनाप्ति प्राप्त करनी अनिवार्य है ।

4.2.14 अनुशासनात्मक कार्यवाही/आपराधिक मुकदमे के अधीन आने वाले कर्मचारी की पदोन्नति :

निलंबनाधीन, अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक अभियोग के अधीन कर्मचारियों के मामले विशिष्ट रूप से डी. पी. सी के संज्ञान में लाए जाए । डी. पी. सी अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ – साथ ऐसे कर्मचारियों की पात्रता के मानदण्ड की उपयुक्ता का आंकलन करेगी । डी. पी. सी के मूल्यांकन और अनुशंसाओं को मोहरबंद लिफाफे में रखा जाएगा । अनुशासनात्मक कार्यवाही/आपराधिक मुकदमे की समाप्ति पर , जिससे कर्मचारी पर लगे आरोप हटे हों , मोहरबंद लिफाफे को खोला जाएगा । दोषमुक्ति के मामले में, मोहरबंद लिफाफे में रखी गई डी. पी. सी द्वारा अनुशंसित पैनल में उस के पद के संदर्भ में कर्मचारी की पदोन्नति की प्रभावी तिथि निर्धारित की जाएगी ।

तथापि, यदि, अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम स्वरूप कोई जुर्माना लगाया गया हो या आपराधिक मुकदमें में दोषी पाए गए हों, मोहरबंद लिफाफे के निष्कर्षों पर कर्मचारी के लिए कार्रवाई नहीं की जाएगी। इन नियमों के अधीन उपबंधित के अनुरूप उसकी पदोन्नति के मामले पर डी.पी.सी द्वारा विचार किया जा सकता है।

5. पदोन्नति के लिए मानदण्ड:

कार्यपालक संवर्ग में एक पद से अगले उच्च पद में पदोन्नति के लिए निम्नलिखित मानदण्ड सम्मिलित होंगे:

5.1 शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ पदोन्नति के लिए अगले निचले ग्रेड में न्यूनतम पात्रता/अनुभव का अनुपालन:-
संलग्नक-क के अनुसार

5.2 डी.पी.सी द्वारा निर्धारण/मूल्यांकन मापदंड के निर्धारित कारकों के अनुसार चयन में अर्हक और पैनल में शामिल होने के लिए निर्धारित न्यूनतम कुल / समग्र अंक प्राप्त करना:
संलग्नक-ख के अनुसार

सभी अधिकारियों की पदोन्नति 100% डी.पी.सी द्वारा निर्धारित योग्यता पर की जाएगी।

5.3 चयन प्रक्रिया:

चयन प्रक्रिया में डी.पी.सी द्वारा साक्षात्कार में योग्यता, अनुभव, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट और प्रदर्शन का आंकलन शामिल होगा।

6. उन्नति के लिए योजना:

कार्यपालक अधिकारियों के मामलों में, जो पदोन्नति के लिए पात्र हैं तथा, रिक्ति के अभाव में पर्याप्त अवधि से एक विशेष पद पर स्थिर हैं, अच्छे मानव संसाधन कार्य के प्रकरण में, ऐसे कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, अगले उच्च ग्रेड पर उन्नयन के लिए विचार किया जाएगा जिन्हें भविष्य में होने वाली रिक्तियों के प्रतिकूल नियमित किया जाएगा। 10 वर्ष की पात्रता अवधि की गणना कर्मचारी के एक पद पर नियमित कार्यरत होने की तिथि से की जाएगी। इस योजना के तहत अधिकारी की संपूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम दो बार उन्नयन किया जाएगा।

डी.पी.सी पदोन्नति के मामले में उपयुक्तता की अनुशंसा करेगी।

किसी भी कारण से, डी.पी.सी द्वारा अधिकारियों को अगले उच्च ग्रेड/पद पर पदोन्नति हेतु विचार-विमर्श के लिए बुलाया जाना, परन्तु अधिकारी द्वारा डी.पी.सी के समक्ष उपस्थित होने से मना करने या चयन होने के पश्चात् उच्च पद का पदभार ग्रहण करने से अस्वीकार करने पर, विचार की तिथि से 10 वर्षों से पूर्व इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।

यह मौजूदा 12 वर्ष उन्नयन/पदोन्नति योजना का स्थान लेगी।

6.1 पूर्व सेवानिवृत्ति उन्नयन:

कार्यपालक अधिकारियों के मामलों में, यद्यपि पदोन्नति के लिए पात्र, रिक्ति के अभाव में पर्याप्त अवधि से एक विशेष पद पर स्थिर हैं, अच्छे मानव संसाधन कार्य के प्रकरण में ऐसे अधिकारी जो 8 वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत हैं, उनकी अधिवर्षिता तिथि से एक वर्ष पूर्व उन्हें अगले उच्च पद / ग्रेड पर पदोन्नत किया जाएगा। यद्यपि, उनकी अधिवर्षिता पर, मूल पद ही संचालित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत

केवल उन कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा जिनका पूर्ववर्ती 3 वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्टों में “संतोषजनक” और उससे ऊपर का प्रदर्शन पाया गया हो।

डी.पी.सी पदोन्नति के मामले में उपयुक्तता की अनुशंसा करेगी।

किसी भी कारण से, डी.पी.सी द्वारा अधिकारियों को अगले उच्च ग्रेड/पद पर पदोन्नति हेतु विचार-विमर्श के लिए बुलाया जाना, परन्तु डी.पी.सी के समक्ष अधिकारी द्वारा उपस्थित होने से मना करने पर या चयन होने के पश्चात् उच्च पद/पोस्ट का पदभार ग्रहण करने से मना करने पर, पदोन्नति के विचार की तिथि से 08 वर्षों तक वे इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।

7. पदोन्नति पर स्थानांतरण:

जहां कहीं भी आवश्यक और वांछनीय हो, संगठन के हित में, पदोन्नति एक प्रभाग/विभाग/विषय से अन्य प्रभाग/विभाग/विषय में स्थानांतरण के अधीन होगी, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यदि पदोन्नति कर्मचारी निर्धारित समय के भीतर स्थानांतरण के संबंधित स्थान पर नहीं जाते, तो उनकी पदोन्नति को वापस लिया जाएगा और उनकी पदोन्नति पर ऊपर निर्दिष्ट खंड 4.2.10 के अधीन पुनर्विचार किया जाएगा।

7.1 छूट:

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, अपने विवेकाधिकार से, इस नीति के किन्हीं भी प्रावधानों में कठिनाई के मामलों को कम करने के लिए या संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छूट दे सकते हैं। यद्यपि, जहां तक विभिन्न स्तरों पर पदोन्नति के लिए अर्हक समय अवधि में छूट का संबंध है अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

8. अभ्यावेदन/अपील:

कोई कर्मचारी यदि पदोन्नति के इस आधार से पीड़ित है कि उसका अधिकार किसी और को मिला है, तो अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित उचित माध्यम से अपील या अपने प्रकरण को प्रस्तुत कर सकता है।

प्रथम अपील/अभ्यावेदन डी.पी.सी के अध्यक्ष के अगले तकाल उच्चतर प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी और द्वितीय अपील/अभ्यावेदन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को की जाएगी। जहां अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं, वहां द्वितीय अपील/अभ्यावेदन निदेशक मंडल के सामने रखी जाएगी।

अभ्यावेदन/अपील चयन सूची की अधिसूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी और अपील की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर उसका निपटान किया जाएगा।

9. संशोधन/व्याख्या और छूट:

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय, कंपनी के संपूर्ण हित में पदोन्नति नीति के किसी नियम/प्रक्रिया में सुधार/संशोधन या परिवर्तन कर सकते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पास इन नियमों की विवेचना करने का अधिकार होगा, नीति में मामूली सुधार करना और किसी भी संदेह की स्थिति में स्पष्टीकरण प्रदान करना और उनका निर्णय अंतिम होगा। वे कठिनाई के अलग-अलग मामलों के कारणों को लिखित रूप में दर्ज कर इन नियमों के प्रावधानों में छूट दे सकते हैं।

भर्ती एवं पदोन्नति के मामले में, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक कंपनी के संपूर्ण हित में उपरोक्त नीतियों/नियमों में संशोधन/सुधार के कोई भी प्रावधान जोड़ने के लिए अधिकृत हैं। यद्यपि, ग्रेड ई4 और ऊपर के संदर्भ में, अर्थात् ग्रेड ई1 से ई3 के पदों के अतिरिक्त, इसे बोर्ड के संज्ञान में लाया जाए।

पदोन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हक सेवा

से	तक	वीई/एमबीए/ एमएसडब्ल्यू/ एम.टेक/एमसीए/सी.ए./ आई.सी.डब्ल्यूए/ सीएस+पीजी। (2 वर्ष) पूर्णकालिक पाठ्यक्रम या समकक्ष योग्यता सीधी भर्ती के सम	संबंधित कार्यक्षत्र से संबंधित एम.कॉम /एम.ए./एम.एस.सी/ स्नातक+पी.जी. डिप्लोमा/(एक वर्ष) /इंटर सी.ए./ आई.सी.डब्ल्यू.ए. या समकक्ष	इंजी. में डिप्लोमा/स्नातक +स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एक वर्ष)/इंटर/सीए/ आईसीडब्ल्यूए या समकक्ष	मैटिक के साथ आईटीआई या इंजी. में सर्टिफिकेट कोर्स संबंधित विषय /इंटरमीडिएट		फीडर कार्य क्षेत्र
ई6	ई7	03 वर्ष	पात्र नहीं	पात्र नहीं	पात्र नहीं		गैर-तकनीकी क्षेत्र के लिए स्वयं के कार्यात्मक क्षेत्र, यूनिट प्रमुख, कार्यपालक अधिकारी (ई6) के मामले में।
ई5	ई6	03 वर्ष	पात्र नहीं	पात्र नहीं	पात्र नहीं		गैर-तकनीकी क्षेत्र के लिए स्वयं के कार्यात्मक क्षेत्र, यूनिट प्रमुख, कार्यपालक अधिकारी (ई5) के मामले में।
ई4	ई5	03 वर्ष	पात्र नहीं	पात्र नहीं	पात्र नहीं		गैर-तकनीकी क्षेत्र के लिए स्वयं के कार्यात्मक क्षेत्र उ.म.प्र. (तकनीकी), कार्यपालक अधिकारी (ई4) के मामले में।
ई3	ई4	03 वर्ष	04 वर्ष	05 वर्ष	पात्र नहीं		गैर-तकनीकी क्षेत्र के लिए स्वयं के कार्यात्मक क्षेत्र, इंजीनियरिंग प्रबन्धक (ई4), कार्यपाल अधिकारी (ई3) के मामले में।
ई2	ई3	03 वर्ष	04 वर्ष	05 वर्ष	पात्र नहीं		स्वयं के कार्यात्मक क्षेत्र
ई1	ई2	03 वर्ष	04 वर्ष	05 वर्ष	पात्र नहीं		स्वयं के कार्यात्मक क्षेत्र

टिप्पणी:

उपरोक्त उल्लेखित योग्यताएं संबंधित कार्य क्षेत्र और सार्वजनिक/सीधी भर्ती के लिए अनुमोदित हैं। व्यावसायिक रूप से योग्य और अन्य के बीच रिक्तियों के लिए पदोन्नति 60:40 के अनुपात में की जाएंगी।

**40 % कोटा के लिए पात्र

कार्यपालक संवर्ग में पदोन्नति के लिए मानदंड
डी.पी.सी द्वारा आंकलन और मूल्यांकन मापदंडों के कारक,
चयन के लिए उपयुक्ता मापदंड 100% योग्यता (मेरिट)पर

मानक	महत्व
एक ही ग्रेड/पद में पिछले 3 वर्षों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट की औसत रेटिंग।	50%
डी.पी.सी द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से निर्धारित उच्च उत्तरदायित्व को संभालने की क्षमता।	40%
योग्यता	05%
अनुभव	05%

विशेष टिप्पणी: ए.पी .ए.आर. अर्थात, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट।

पैनल का गठन: पात्रता मापदंड और प्राप्त अंक के अनुरूप सभी अधिकारी पदोन्नति के लिए हकदार होंगे। यद्यपि, पदोन्नति की वास्तविक संख्या आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करेगी। कार्मिक द्वारा वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त किए गए अंक और योग्यता का क्रम तैयार किया जाएगा। केवल वे कर्मचारी, जिन्होंने निर्धारित अर्हक 75 (पचहत्तर) अंक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में 70 (सत्तर) अंक प्राप्त किए हैं, पदोन्नति के लिए आरक्षण के दिशा-निर्देश, जहां भी लागू हों, को उचित महत्व देते हुए भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या के आधार पर चयन सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। अपने कार्यात्मक क्षेत्र में अतिरिक्त योग्यता रखने वाले कार्यपालक अधिकारी को डी.पी.सी में समान अंक प्राप्त करने वाले अन्यों की तुलना में पदोन्नति में प्राथमिकता दी जाएगी। उपरालिखित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को अंक में छूट केवल ई3 ग्रेड स्तर तक के पद तक पदोन्नति के लिए उपलब्ध होगी।

साक्षात्कार: इन नियमों के अनुरूप साक्षात्कार का प्रयोजन अगले उच्च ग्रेड/पद के लिए पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आंकलन करना है। व्यावसायिक ज्ञान, व्यावसायिक क्षेत्र/कार्य/कार्य क्षेत्र की नवीनतम प्रवृत्तियों के लिए जागरूकता, तार्किक रूप से तर्क-वितर्क द्वारा हूल निकालने की क्षमता, सुसंबद्ध रूप से विचारों को प्रस्तुत करना, पर्यावरणीय जागरूकता, नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता, संप्रेषण का कौशल, उच्चतर जिम्मेदारियों को ग्रहण करने की क्षमता/अभिवृत्ति, संगठन के लिए प्रतिबद्धता, ई आर पी में जानकारी आदि जैसे कारक प्रत्येक पद के लिए क्षमता की जांच व्यापकता पर आधारित को ध्यान में रखकर प्रत्येक उम्मीदवार को डी.पी.सी द्वारा अंक दिए जाएंगे।